न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–93/2016

वादीगण	**बनाम**	प्रतिवादीगण
1. वली खा पुत्र राजू खा उम्र 58 वर्ष 2. फतेह खा पुत्र राजू खा फौत के कायम मुकामान 2/1. लालू खा पुत्र फतेह खा 2/2. भीखे खा पुत्र फतेह खा 2/3. श्रीमति दली पत्नी फतेह खा 3. पिरे खा पुत्र अली खा. उम्र 55 वर्ष 4. हिन्दाल खा पुत्र अली खा उम्र 40 वर्ष 5. जादम्ब खा पुत्र अली खा उम्र 28 वर्ष 6. नसीबा पत्नी अली खा फौत के कायम मुकामान वादी सख्या 3 से 5 7. गनी खा पुत्र सुमार खा उम्र 32 वर्ष 8. हबीब खा पुत्र सुमार खा उम्र 28 वर्ष 9. दावद खा पुत्र सुमार खा फौत के कायम मुंकामान 9/1. इलीयाच पुत्र दावद खा उम्र 5 वर्ष नाबालिक वलिय कुंदरती माता सरक्षक कवला पत्नी दावद 9/2 कवला पत्नी दावद खा उम्र 35 वर्ष 10. निबाब खा पुत्र सुमार खा उम्र 22 वर्ष 11. वसीर खा पुत्र सुमार खा लाऔलाद फौत के वारीसान 7 से 10 व 12 12. मोमती पत्नी सुमार खा उम्र 55 वर्ष जातियान मुसमान निवासी शाहनगर भूका भगतसिह हाल निवासी राह तहसील बागौडा जिला जालौर		1. इशाक खा पुत्र हुसेन खा फौत के कायम मुकामान 1/1. रसूल खा पुत्र इशाक खा 1/2. समदे खा पुत्र इशाक खा 1/3. इकबाल खा पुत्र इशांक खा 1/4. लतीबा पत्नी इशाक खा 2. मुसा खा पुत्र हुसेन खा उम्र 52 वर्ष 3. हिदायत खा पुत्र हुसेन खा उम्र 47 वर्ष 4. अमिन खा पुत्र हुसेन खा उम्र 40 वर्ष 5. निजाम खा पुत्र हुसेन खा उम्र 37 वर्ष 6. हसन खा पुत्र रिडमल खा उम्र 70 वर्ष 7. हनीफ खा पुत्र हलीम खा उम्र 45 वर्ष 8. मोदल खा पुत्र हलीम खा उम्र 42 वर्ष 9. सतार खा पुत्र हलीम खा उम्र 38 वर्ष 10. हबी पत्नी हलीम खा उम्र 65 वर्ष 11. हमीद खा पुत्र भोपा के कायम मुकामान 11/1. मेहबुब खा पूत्र हमीद खा उम्र 40 वर्ष 11/2. नबाब खा पुत्र हमीद खा उम्र 37 वर्ष जातियान मुसलमान निवासी राह तहसील बागोडा जिला जालौर 12. शाखा प्रबन्धक, एसबीबी जे शाखा भूका भगतसिह 13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:43:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– श्री रामजीवन विशनोई वकील वादीगण

श्री गंगाराम चौधरी वकील प्रतिवादी सं. 1 से 10

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

पैरोकार सरकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 23.07.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादी सं. 1 से 5,7 से 10 व 12 तथा प्रतिवादी सं. 1 से 11 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की भूमि खसरा संख्या 903 रकबा 8.5592 हैक्टयर ग्राम शाहपुरा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त पक्षकार मुतवफी वागाखां के वारिस है। वागाखां के 4 पुत्र– वादी सं. 1 से 5 व प्रतिवादी सं. 7 से 10 के पूर्वपुरूष राजूखां, प्रतिवादी सं. 11/1 से 11/4 के पूर्वपुरूष भोपा, वादी सं. 7 से 12 के पूर्वपुरूष खाजूखां तथा प्रतिवादी सं. 1 से 6 के पूर्व रिड़मल खां– थे। इस प्रकार प्रत्येक थौक का वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा था। रिड़मलखां के एक पुत्र हसनखां द्वारा अपने 1/8 हिस्से में से 5/48 हिस्से की अपने भाई हुसैनखां को बेचान करने से हसनखां का 1/48 हिस्सा तथा हुसैनखां का 11/48 हिस्सा हुआ, जो उसके फौत होने पर उसके वारिसान कर खातेदारी में आया। राजूखां के चार पुत्रों में से एक अलीखां को खाजूखां का इकलौता पुत्र बताकर रिकार्ड में उसका समग्र 1/4 हिस्सा अलीखा की खातेदारी में दर्ज कर दिया, जिससे खाजूखां के वास्तविक वारिस– वादी सं. 7 से 12 अपने 1/4 हिस्से की जायज खातेदारी से महरूम हो गये। इसी अनुसार प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्से के थौक अपने–अपने वारिसाना हकानुसार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अतः वादीगण ने वादी ने वादी सं. 7 से 10 व 12 ने अलीखां की वल्दियत राजूखां दर्ज करवाते हुए वादी सं. 7 से 10 व 12 का खाजूखां के स्थान पर 1/4 हिस्से में नाम खातेदारी में दर्ज करवाने एवं तद्नुसार खातेदारी घोषित करवाने तथा माफिक कब्जाकाश्त प्रत्येक थौक का हिस्सा पृथक करवाते हुए अपने कब्जा काश्त में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 की ओर से वकील श्री गंगाराम चौधरी उपस्थित हुए, किंतु उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। बाद में उनके लागातार अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष प्रतिवादी भी बावजूद सम्मन तामील [illegible] रहे।

वादीगण की ओर से साक्ष्य में गनीखां पी. डब्ल्यु–1, [illegible] अलीखां पी. डब्ल्यु–3 ने उपस्थित होकर साक्ष्य में अपने शपथपत्र प्रस्तुत किये। [illegible]वेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–01 नामांतरकरण संख्या 3, प्रदर्श पी–02 [illegible] जमाबंदी संवत् 2025–37, प्रदर्श पी–04 जमाबंदी संवत् 2018–22, प्रदर्श पी–05 जमाबंदी खसरा संख्या 903, प्रदर्श पी–06 विरासत नामांतरकरण संख्या 66, प्रदर्श पी–07 मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श पी–08 ग्राम राह–नरसाणा की जमाबंदी, प्रदर्श पी–09 मृत्यु प्रमाण पत्र सुमार खां पुत्र खाजू खां, प्रदर्श

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:43:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

पी–10 राशनकार्ड सुमार खां पुत्र खाजुखां, प्रदर्श पी–11 निर्वाचन पहचान पत्र सुमार खां पुत्र खाजू खां, प्रदर्श पी–12 जमाबंदी, प्रदर्श पी–13 पहचान पत्र फते खां पुत्र राजूखां, प्रदर्श पी–14 पहचान पत्र वलीखां पुत्र राजूखां के दस्तावेज प्रस्तुत किये।

हमनें वकील वादीगण की बहस सुनी गई थी।

वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिए कि वादग्रस्त भूमि मुतवफी वागाखां से वर्तमान खातेदारान को विरासत से प्राप्त हुई थी। वागाखां के 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों के वारिसान में से कुछ ने आपस में बैचान किया और बाद बैचान एवं कुछ पक्षकारों के फौत होने के बाद वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में वादी सं. 1 का 1/16 हिस्सा, वादी सं. 2/1 से 2/3 का संयुक्त रूप से 1/16 हिस्सा, वादी सं. 3 से 5 का संयुक्त रूप से 1/16 हिस्सा, वादी सं. 7 से 10 व 12 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी 1/1 से 5 का 11/48 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 का 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 7 से 10 का 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 11/1 से 11/4 का 1/4 हिस्सा है। इसी अनुसार पक्षकार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। त्रुटिवश अलीखां, जो राजूखां का पुत्र है, को खाजूखां का पुत्र बताकर उसे राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज कर दिया और खाजूखां के वारिसान वादी सं. 7 से 10 व 12 खातेदारी मे इन्द्राज से महरूम हो गये। अतः वादग्रस्त भूमि में अलीखां की वल्दियत राजूखां दर्ज करते हुए राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार इन्द्राज किया जावे तथा खाजूखां के वारिस की हैसियत से वादी सं. 7,8,9/1,9/2,10 व 12 का 1/4 हिस्से में इन्द्राज किया जावे।

हमनें वकील वादीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान के शपथपत्रों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा पक्षकारान के वंशवृक्ष का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। खातेदार मुतवफी वागाखां के वारिस है तथा वंशवृक्ष एवं खातेदार द्वारा किये गये आंशिक बैचानों तथा अली की गलत दर्ज, वल्दियत एवं वादी सं. 7 से 10 व 12, जो खाजूखां के वारिस है, इन्द्राजात से छूट जाने से स्पष्ट है कि वादी बहस में उल्लेखितानुसार खातेदारान का वादग्रस्त भूमि में हक हिस्से होना साबित है। मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से इसी अनुसार खातेदारान का कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है। वादीगण की ओर से उनके अभिभाषक ने धारा 53 रा.का. अधि. की इस्तदुआ विड्रो की है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम शाहनगर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 903 रकबा 8.5592 हैक्अयर भूमि में 11/240–11/240 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 से 5 प्रत्येक की, 1/48 हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 की तथा 1/16–1/16 हिस्सा प्रतिवादी सं. 11/1 से 11/4 प्रतयेक की खातेदारी में यथावत् रखते हुए 1/16 हिस्सा वादी सं. 1 की, 1/48–1/48 हिस्सा हिस्सा वादी सं. 2/1 से 2/3 एवं वादी सं. 3 से 5 प्रत्येक की, 1/20–1/20 हिस्सा वादी सं. 7,8,10 व 12 प्रत्येक की, 1/40–1/40 हिस्सा वादी सं. 9/1 व 9/2 प्रत्येक की, 11/960–11/960 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/4 प्रत्येक की, 1/64–1/64 हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 से 10 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:43:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के हिस्सानुसार कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। वादग्रस्त भूमि में बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:43:10 IST
Reason: SelfAttested